न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 231/2026
आदेश

18.06.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त 1. राजु कुमार 2. मनीष सिंह 3. विनाशी कुंवर 4. ममता देवी 5. गीता देवी उर्फ गीता कुमारी 6. रीना देवी 7. छोटु कुमार उर्फ नीतरंजन कुमार एवं 8. ललीता देवी की ओर से दाखिल किया गया है, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 352, 351(2), 3(5) के अधीन दर्ज राजपुर थाना कांड संख्या 45/2026 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में सुश्री सबा शकील, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 08.03.2026 को संध्या लगभग 7.00 बजे सूचिका सीमा देवी अपने परिवार के साथ घर पर थी। उसी दौरान अभियुक्तगण लाठी–डंडा लेकर उसके घर के समीप एकत्रित होकर गाली–गलौज करने लगे। सूचिका की पुत्री द्वारा घटना का वीडियो बनाए जाने पर अभियुक्तगण आक्रोशित होकर सूचिका, उसकी पुत्री तथा पुत्रों के साथ मारपीट किए, जिससे उन्हें चोटें आईं। आरोप है कि अभियुक्तगण घर में प्रवेश कर सूचिका के गले से सोने की चैन, उसके पुत्र का मोबाईल फोन एवं लॉकेट छीन लिए तथा घर में रखा 1,50,000/– रुपया नकद भी ले गए।

आवेदक अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तों की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया था। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन का पूरा वाद झूठा एवं मनगढ़ंत है। आवेदक अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) को छोड़कर शेष सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदक अभियुक्तों के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। अतः आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

प्रस्तुत वाद में थानाध्यक्ष, राजपुर से मामले के केस दैनिकी, अभियुक्तों के आपराधिक

लगातार
18.06.2026

इतिहास एवं जख्मी के जख्म प्रतिवेदन की मांग की गई थी। थानाध्यक्ष राजपुर ने अपने कार्यालय के ज्ञापांक 1921/2026, दिनांक 09.06.2026 के द्वारा यह सूचित किया है कि इस वाद के अनुसंधानकर्ता स्थानांतरित होकर सेमरा ओपी नटवार चले गए हैं तथा उन्होंने अनुसंधान का भार नहीं सौंपा है, जिसके कारण उन्होने केस दैनिकी, अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास एवं जख्मी के जख्म प्रतिवेदन को न्यायालय में प्रस्तुत करने की असमर्थता प्रकट की है। अतः उभय पक्षों की प्रार्थना पर बिना केस दैनिकी, अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास एवं जख्म प्रतिवेदन के उभय पक्षों को सुना। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभिलेख पर उनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तों के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है। उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता के कथनों पर विचार करने के पश्चात यह आदेश दिया जाता हैं कि यदि आवेदक अभियुक्तों को आदेश पारित करने की तिथि से **पंद्रह दिनों** के अंदर गिरफ्तार किया जाता है या वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, तो वैसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तों की ओर से 7000/–रूपये की समान राशि के दो प्रतिभू सहित, विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– 482(2) के शर्तो के अधीन रहते हुए, बंधपत्र निष्पादित किया जाता हैं, तो उन्हें अग्रिम जमानत पर **मुक्त** कर दिया जायेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।